ट्रेड (ITI) अप्रेंटिस 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश

सभी उम्मीदवारों के लिए

- शिक्षुता प्रशिक्षण की विस्तृत विज्ञापन, आवश्यक योग्यता एवं ऑनलाइन आवेदन तथा परीक्षा की तारीख के लिए बीएचईएल भोपाल की वेबसाइट https://bpl.bhel.com/bplweb_new/careers/index.html पर लॉगिन (login) करें।
- ऑनलाइन आवेदन से पहले कृपया यह सुनिश्चित करें कि आप प्रशिक्षण के लिए विज्ञापन में दी गई आवश्यक योग्यता रखते हैं।
- ऐसे आवेदक जिन्होंने आई.टी.आई. की परीक्षा 2021 के पूर्व उत्तीर्ण की है वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अर्ह नहीं है अत: ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें । बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को आई.टी.आई. उत्तीर्ण वर्ष में तीन वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी अर्थात जिन्होने आई.टी.आई. की परीक्षा 2018 के बाद उत्तीर्ण की है वे शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अर्ह है।
- **अभ्यर्थी बी.एच.ई.एल. भोपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र (APPLY ONLINE) भरते समय आई.टी.आई. के सभी सेमेस्टर में अर्जित अंकों को जोड़कर प्राप्तांक में भरें तथा सभी सेमेस्टर के अधिकतम अंकों को जोड़कर अधिकतम अंक(maximum marks) कॉलम में भरें।**
- **वे अभ्यर्थी जिनको बोर्ड द्वारा हाई स्कूल/10वीं कक्षा में CGPA ग्रेड प्राप्त हुआ है ऐसे अभ्यर्थी बी.एच.ई.एल. भोपाल के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय 10वीं के अधिकतम अंक कालम में 10 और प्राप्तांक में प्राप्त CGPA भरें। अन्य अभ्यर्थी अधिकतम अंक एवं प्राप्तांक भरें।**
- सभी अभ्यर्थियों के पास वैध ईमेल आईडी (email ID) एवं मोबाईल नंबर होना आवश्यक है जिसे अभ्यर्थी को कम से कम 6 माह तक वैध रखना होगा। बीएचईएल भोपाल द्वारा सभी पत्राचार आपके द्वारा दिये गए ईमेल आईडी (email ID) एवं मोबाईल नंबर पर ही किया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय ध्यान रखें कि लाल एस्ट्रिक (*) चिन्ह लगे हुये बिन्दु आवश्यक रूप से भरना है । सफलता पूर्वक फार्म भरने के पश्चात, एक अद्वितीय पावती क्रमांक (acknowledgement number) प्राप्त होगा एवं आपको फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आप अपनी हाल ही में ली गई पासपोर्ट आकार की फोटो (अधिकतम 1 MB) को अपलोड करें।
- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि पावती पर्ची का प्रिंट आउट लेने के पश्चात उस पर हस्ताक्षर करें तथा इस पावती पर्ची को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रखें ।

नोट: लिखित परीक्षा के लिए चयनित सभी अभ्यर्थी पावती पर्ची(Acknowledgement Slip)के साथ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की एक प्रति स्वयं द्वारा सत्यापित करें तथा संलग्न कर लिखित परीक्षा के समय लायें एवं परीक्षा केंद्र पर अनिवार्यतः जमा करें अन्यथा लिखित परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा:-

सत्यापन हेतु	आवश्यक प्रमाण पत्र	किसके लिए लागू
पावती पर्ची	बीएचईएल में आवेदन करने के पश्चात प्राप्त पावती पर्ची	सभी अभ्यर्थियों के लिए
जन्म तिथि	दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र / अंकसूची	
दसवीं कक्षा	अंकसूची /प्रमाण पत्र	
आई टी आई/एन टी सी	अंकसूची /प्रमाण पत्र (सभी सेमेस्टर की मार्कशीट/अंकसूची)	
आधार कार्ड	आधार कार्ड की कॉपी	
NAPS रजिस्ट्रेशन	NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर की पर्ची	
मूल निवासी	मध्यप्रदेश के मूल निवासी/ स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र	
जाति / वर्ग	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए

अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) का जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर): जिन उम्मीदवारों के अभिभावकों की कुल वार्षिक आय पिछले 3 वर्षों से निरंतर रूपए 8 लाख से अधिक नहीं है ।
ईडब्ल्यूएस(EWS) प्रमाणपत्र	निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस(EWS)प्रमाणपत्र जो कि एक वर्ष से पुराना न हो।	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) उम्मीदवारों के लिए
शारीरिक विकलांगता	निर्धारित प्रारूप में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र	शारीरिक विकलांग उम्मीदवारों के लिए
मेडिकल टोकन	नीचे दिये हुये निर्देशानुसार	बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी के लिए
बारहवीं कक्षा	अंकसूची /प्रमाण पत्र	यदि पास किया है

- ऐसे अभ्यर्थी जिनको आई.टी.आई. का परीक्षाफल/अंकपत्र बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है,आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- सभी प्रमाण पत्र दिनांक के आधार पर वैध होने चाहिए।
- किसी भी तरह की जानकारी/पूंछतांछ के लिए ईमेल bhelatr.bpl@bhel.in पर संपर्क कर सकते हैं ।

केवल बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी) के लिए

(i) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी) को उच्चतम आयु में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी ।

(ii) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी को आई.टी.आई. उत्तीर्ण वर्ष में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(iii) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों के आश्रितों (पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी) को न्यूनतम (Minimum Marks) में भी छूट होगी ।

(iv) बीएचईएल भोपाल के कर्मचारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त/मृतक) के पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी को उपरोक्त दस्तावेजों के साथ बीएचईएल भोपाल द्वारा जारी मेडिकल टोकन की प्रति या कर्मचारी के आश्रित होने का दस्तावेज़ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आपको बीएचईएल भोपाल के कर्मचारी का आश्रित (Ward) नहीं माना जाएगा।

(v) उपर्युक्त दस्तावेजों के अभाव में आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।